No... 3490/00
Filed today. 22.11.00
by Shri - एस के श्रीवास्तव अधि
For Registrar,
M. P. State Adm. Tribunal,
RAIPUR.

समक्ष माननीय राज्य प्रशासनिक अधिकरण मध्य प्रदेश, रायपुर

ओ.ए. क्रमांक (170)**/2000** CP(S) 3449/00

आवेदक ... कलाराम साहू, आयु 56 वर्ष
आत्मज श्री सुकालूराम साहू,
पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरागढ़,
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

वि रू द्ध

अनावेदकगण ... (1) मध्य प्रदेश शासन,
द्वारा - प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,
वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0)

(2) छत्तीसगढ़ शासन,
द्वारा - प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/मंत्रालय,
रायपुर (छ.ग.)

(3) स्वास्थ्य आयुक्त,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,
भोपाल (म0प्र0)

(4) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 19, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985.

(35)

XI-HC-78

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक ..... 3449 ..... **सन् 2005**

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	14.11.2005 Shri Rakesh Anthony, counsel for the petitioner. Shri Pankaj Shrivastava, Panel Lawyer for the State. Heard. Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner has retired on attaining the age of superannuation with effect from 30.11.2000, in view of that nothing survives in this petition. However, learned counsel submits that the petitioner has not been paid retiral benefits so far. The petition is dismissed as withdrawn with liberty to file a fresh petition, if any other cause of action arises in the matter. **Sd/-** **Satish K. Agnihotri** **Judge**	

Rao